[2021] 3 एस. सी. आर 796

भारत का संघ

वी.

ए. एलागम पेरुमल कोन और अन्य

(2021 की सिविल अपील No.680)

22 फरवरी, 2021

[अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी, जेजे।]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशनः स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए दावा-प्रथम उत्तरदाता

पहली बार वर्ष 1997 में पेंशन के अनुदान के लिए आवेदन किया था जिसमें दावा किया गया था कि वह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत थे, यानी अगस्त, 1942 से छह महीने से अधिक की अवधि के दौरान-अभिलेख प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता।

(एन. ए. आर. सी.) सरकार से पहले आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था और केवल सी. जे. एम. द्वारा प्रमाणित एक प्रमाण पत्र था।

मदुरै, प्रस्तुत किया गया था-पहला आवेदन, जिसे अपीलार्थी को अग्रेषित किया गया था, बिना किसी विशिष्ट के था

भारत छोड़ो आंदोलन-उक्त आवेदन में, उन्होंने कहा कि वे छह महीने से अधिक समय तक यानी 05.01.1944 से लेकर 05.01.1944 तक जेल में रहे। 05.07.1944 , जो उस अवधि से भिन्न थी जिसका उल्लेख उन्होंने बिना नोटिस जारी किए पहले आवेदन में किया है और

अपीलार्थी को जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर दिए बिना, उच्च न्यायालय ने पेंशन प्रदान करके याचिका का निपटारा किया। प्रथम प्रत्यर्थी का दावा इस योजना के तहत था, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिसूचित किया गया था-सरकार-यह योजना दावेदार के कारावास को प्रमाणित करने के लिए कुछ दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश देती है।

स्वतंत्रता सेनानी-चाहे दावेदार मानदंडों को पूरा करता है या नहीं, यह सक्षम प्राधिकारी को इसकी जांच करनी है-इसके अलावा, जब

प्रथम प्रत्यर्थी का आवेदन वर्ष 1997 में पहले ही खारिज कर दिया गया था, जब इस तरह का अस्वीकृति आदेश अंतिम हो गया था, तो यह इसके लिए खुला नहीं था।

जब ऐसा गंभीर तथ्यात्मक हो तो नए आवेदन के माध्यम से फिर से दूसरी बार पेंशन के लिए दावा करने वाला पहला उत्तरदाता विवाद विचार के लिए उभरते हैं, उच्च न्यायालय में 796 भारत संघ नहीं होना चाहिए।

ए. एलागम पेरुमल कोन और

अन्य

प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका का निपटारा बिना नोटिस जारी किए और अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर दिए बिना किया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. दावेदार मानदंडों को पूरा करता है या नहीं, इसकी जांच करना सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर करता है। इससे पहले भी

आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को जारी नहीं करना चाहिए था

पेंशन प्रदान करने के लिए कोई भी निर्देश। इस मामले में, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहले उत्तरदाता का दावा पहले से ही है।

2. किसी भी स्थिति में, जब ऐसे गंभीर तथ्यात्मक विवाद विचार के लिए सामने आते हैं, तो उच्च न्यायालय को इसका निपटारा नहीं करना चाहिए था। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस जारी किए बिना दायर की गई याचिका और इसका खंडन करने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर देना

अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोप। [पैरा 26] [803-एच; 804-ए]

3. तत्काल मामले में, अपीलकर्ता बेहतर स्थिति में है, क्योंकि हालांकि प्रथम प्रतिवादी द्वारा 10.04.1997 पर किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था और उक्त आदेश अंतिम हो गया है, लेकिन उसने फिर से उसी अनुरोध के साथ अपीलकर्ता से संपर्क किया। सक्षम प्राधिकारी के विचार करने से पहले ही आवेदन में, प्रथम प्रत्यर्थी ने रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय ने न केवल याचिका पर विचार किया, बल्कि अपीलार्थी को जवाबी हलफनामा दायर करने की सूचना और अवसर के बिना इसका निपटारा कर दिया। यहां तक कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों पर विचार नहीं किया है। [पारस 28,29] [804-डी-एफ]

4. यह सच हो सकता है कि पहले उत्तरदाता को राज्य द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार पेंशन मिल रही है, लेकिन साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए भी।

[20

21] 3 एस सी आर।

1980 की योजना के तहत पेंशन का दावा करने के लिए, प्रथम उत्तरदाता को योजना के तहत विचार के अनुसार आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जब दावा किसी विशेष योजना के तहत किया जाता है, जब तक कि कोई पेंशन देने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जैसा कि योजना में उल्लेख किया गया है, कोई भी आवेदक अधिकार के रूप में ऐसी पेंशन का दावा नहीं कर सकता है। [पैरा 30] [804-जी]

और अन्य 2004 (7) एस. सी. सी. 716 [2004] 3 पूरक। एससीआर 665 ; भारत संघ बनाम। बिकाश आर. भौमिक और अन्य

2004 (7) एस. सी. सी. 722; भारत संघ। सीताकांत एस.

दुभाशी और अन्न। 2020 (3) एससीसी 297: [2020] 3

एस. सी. आर. 736-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2004] 3 पूरक। एससीआर 665

पै

रा 19

संदर्भित किया गया है

2004 (7) एस. सी. सी. 722

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2020] 3 एससीआर 736

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 680

2021 से।

उच्च न्यायालय के 29.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मदुरै में मद्रास के डब्ल्यू. ए. (एम. डी.) 2018 की सं. 907।

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, बीवी बलराम दास, सुश्री दीक्षा राय,

सुश्री नूपुर शर्मा, समज्योर लेप्चा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

दिव्यांशु श्रीवास्तव, सुश्री गरिमा बजाज, निखिल बमाल, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील भारत संघ द्वारा दायर की गई है, जिससे व्यथित है

डब्ल्यू. ए. में पारित 29.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश। (एम. डी.) नहीं। 907 मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) द्वारा 2018 की धारा, जिसके तहत, अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया जाता है, जो डब्ल्यू. पी. में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करता है। (एम. डी.) नहीं। 17290 2017 से।

3. दिनांक 26.10.2017 के आदेश द्वारा, W. P. में पारित किया गया। (एम. डी.) No.17290 का

2017 , इसमें प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर, रिट याचिका का निपटारा करते हुए, अपीलार्थी को भारत की स्वतंत्रता संघ v प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

ए. एलगाम पेरुमल कोन और अन्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

4. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित, इसमें अपीलार्थी ने लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत रिट अपील को प्राथमिकता दी और उसी को विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

5. उत्तरदाता संख्या 1 ने अपना पहला आवेदन प्रस्तुत किया है।

योजना के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से उत्पादित। द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा की गई किसी भी स्पष्ट सिफारिश के अभाव में, प्रथम प्रतिवादी द्वारा 10.04.1997 पर किए गए आवेदन को अपीलार्थी द्वारा अपने दिनांकित 27.02.2004 पत्र के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, लगभग 13 वर्षों की अवधि के लिए, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और 29.08.2017 पर, उन्होंने पुनः अपीलार्थी को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत 2011 से पेंशन देने के लिए एक संचार भेजा, जिसमें कहा गया कि वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 05.01.1944 से 05.07.1944 तक छह महीने से अधिक समय तक जेल में रहे।

6. यह अपीलार्थी का मामला है कि चूंकि उक्त संचार किसी भी दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं था, इसलिए यहाँ अपीलार्थी ने 27.10.2017 दिनांकित एक पत्र भेजा, जिसे दूसरे प्रतिवादी को एक प्रति के साथ संबोधित किया गया है।

प्रथम उत्तरदाता को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अनुसार सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करके दावा आवेदन भेजने के लिए। उस स्तर पर, प्रथम प्रत्यर्थी ने मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) के समक्ष रिट याचिका दायर की है, जिसके माध्यम से निर्देश मांगे गए हैं -

इसमें अपीलार्थी को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने का निर्देश देना अनिवार्य है। 7. यह अपीलार्थी का मामला है कि रिट याचिका पर सुनवाई की गई और अधिसूचना जारी किए बिना और याचिका में लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का कोई अवसर दिए बिना दिनांक 1 के आदेश द्वारा उसका निपटारा किया गया।

8. एकल न्यायाधीश, प्रथम उत्तरदाता द्वारा किए गए कुछ संचारों का उल्लेख करते हुए, एक निष्कर्ष दर्ज करके कि प्रमाण पत्र जारी किया गया था

एक अनुमोदित प्रमाणक द्वारा पेंशन के अनुदान के लिए पर्याप्त है, जिसने [2021] 3 एस. सी. आर. का निपटान किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका में अपीलार्थी को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन देने और उसके संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।

9. यह अपीलार्थी का मामला है कि अपील में भी, हालांकि डिवीजन बेंच के समक्ष विशिष्ट आधार उठाए गए हैं, अन्य बातों के साथ-साथ,

कि रिट याचिका में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था; स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देने के लिए प्रथम प्रतिवादी द्वारा आवेदन आवश्यक दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं था; और पेंशन देने के लिए पहले आवेदन की अस्वीकृति का खुलासा न करने पर, उच्च न्यायालय ने वैध कारण बताए बिना और अपील में उठाए गए किसी भी आधार पर विचार किए बिना अपील को खारिज कर दिया है।

10. इस न्यायालय के समक्ष, जवाबी हलफनामा प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों का खंडन करते हुए, यह कहा गया है कि चूंकि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, इसलिए वह पहले ही अवमानना याचिका दायर कर चुका है और इसका खुलासा किए बिना, इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। अपील में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में, यह कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते, उन्हें कारावास (1944 में छह महीने के कारावास तक सीमित नहीं) सहित विभिन्न नुकसान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा, उन्हें 1942 (अगस्त, 1942 से दिसंबर, 1943) में एक साल से अधिक समय तक भूमिगत रहना पड़ा, क्योंकि उन्हें हिरासत के आदेशों का सामना करना पड़ रहा था।

11. इसके अलावा, यह कहा गया है कि उन्होंने सक्रिय रूप से क्विट में भाग लिया है

इंडिया मूवमेंट, उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप, उन्हें सजा सुनाई गई और 05.01.1944 से 05.07.1944 तक छह महीने से अधिक समय तक अलीपुरम केंद्रीय जेल में रखा गया।

13. अपीलार्थी द्वारा संबोधित 30.08.2017 दिनांकित पत्र के जवाब में, यह कहा गया है कि उसने 07.09.2017 दिनांकित पत्र के माध्यम से जवाब दिया है, यह बताते हुए कि अन्य सभी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों का निधन हो गया था और एक श्री ए. एम. लक्ष्मणन को छोड़कर जिनका सह-कैदी प्रमाण पत्र पहले ही एक श्री ए. सी. के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा चुका है।

पेरियासामी, इस प्रकार, उन्होंने सभी आवश्यकताओं का पालन किया है

इस योजना के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

14. हमने भारत संघ की ओर से उपस्थित अपर सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान और श्री दिव्यांशु श्रीवास्तव को सुना है, प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता।

15. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश

उच्च न्यायालय ने बिना कोई नोटिस जारी किए और इसका खंडन करने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का कोई अवसर दिए बिना याचिका का निपटारा कर दिया है।

आरोप, रिट याचिका में लगाए गए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

उच्च न्यायालय ने पेंशन देने के लिए सकारात्मक निर्देश जारी करने में त्रुटि की है।

16. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब योजना अनुदान के लिए तैयार की जाती है

कुछ शर्तों के साथ पेंशन, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों के अनुपालन की जांच नहीं की जाती है, तब तक पेंशन देने का निर्देश देते हुए कोई निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए था। 17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली बार में, प्रथम उत्तरदाता ने वर्ष 1997 में पेंशन के अनुदान के लिए आवेदन किया था और उसे आगे बढ़ा दिया गया था।

दूसरे उत्तरदाता द्वारा तीसरे उत्तरदाता के माध्यम से बिना कुछ किए

विशिष्ट अनुशंसाएँ और उन्हें समाप्त होने के बाद अस्वीकार कर दिया गया

कई वर्षों तक, फिर से, पेंशन देने के लिए आवेदन किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किए जाने से पहले ही, प्रथम प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उच्च न्यायालय ने जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर दिए बिना याचिका का निपटारा कर दिया है। 18. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई आधारों को उठाने के बावजूद, खंड पीठ भी इस पर विचार करने में विफल रही, और अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज करके विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की।

19. उनकी दलीलों के समर्थन में विद्वान वकील ने W.B.Freedom सेनानियों के संगठन बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। भारत संघ और अन्य और भारत संघ के मामले में भी निर्णय v. बिकाश आर. भौमिक और अन्य 2.

1. 2004 (7) एस. सी. सी. 716

2. 2004 (7) एससीसी 722 [2021] 3 एस. सी. आर.

20. दूसरी ओर, श्री दिव्यांशु श्रीवास्तव, विद्वानों द्वारा की गई दलीलों का खंडन करते हुए प्रथम प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।

अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया है कि हालाँकि प्रतिवादी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि के दौरान अपने कारावास के अलावा नुकसान झेला है, लेकिन वह उस पेंशन से अनुचित रूप से वंचित है, जिसका वह हकदार है, तैयार की गई योजना के अनुसार।

21. 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.11132 (2019 की डायरी No.2923) में पारित दिनांक 26.04.2019 के आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह की याचिका इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दी गई है और आगे, भारत संघ बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। सीताकांत एस. दुभाशी और Anr.³, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

पेंशन प्रदान करने के लिए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पेंशन प्रदान करने के लिए उचित निर्देश जारी किए हैं। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। 23. यह विवाद में नहीं है कि पहली बार में, प्रथम उत्तरदाता ने वर्ष 1997 में पेंशन के अनुदान के लिए आवेदन किया था और

प्रथम उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत दिनांकित 10.04.1997 आवेदन को अभिलेख में रखा गया है। उक्त आवेदन में, प्रथम प्रत्यर्थी ने कहा है कि वह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी अगस्त, 1942 से छह महीने से अधिक की अवधि के दौरान भूमिगत था। उस समय, पहले आवेदन के साथ, सरकार से प्राप्त अभिलेख प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता (एन. ए. आर. सी.) प्रस्तुत नहीं की गई थी और केवल सी. जे. एम., मदुरै द्वारा प्रमाणित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था।

द्वितीय प्रत्यर्थी से संचार, प्रथम प्रत्यर्थी के दावे पर विचार किया गया और अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश अंतिम हो गया है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। इस तरह की अस्वीकृति के लगभग 13 वर्षों के बाद, प्रथम उत्तरदाता ने अपनी याचिका पर स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत फिर से पेंशन का दावा किया है। 3. 2020 (3) एस. सी. सी. 297 भारत संघ बनाम

ए. एलगाम पेरुमल कोन और अन्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए छह महीने से अधिक का कारावास। आवेदन, जो दूसरी बार किया गया है, को अनुलग्नक "पी-5" के रूप में भी दर्ज किया गया है। उक्त आवेदन में उन्होंने कहा है कि उन्हें छह महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया था।

05.01.1944 05.07.1944, जो स्पष्ट रूप से उस अवधि से भिन्न है जिसका उन्होंने पहले आवेदन में उल्लेख किया है। हालांकि, पहले की अस्वीकृति अंतिम हो गई है और प्रथम प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे में उल्लिखित विवरण पहली बार में उल्लिखित विवरणों से भिन्न हैं, बिना नोटिस जारी किए और अपीलार्थी को जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर दिए बिना, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पेंशन देने के लिए एक सकारात्मक निर्देश देकर याचिका का निपटारा किया है। प्रथम का दावा प्रत्यर्थी अपीलार्थी-सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के तहत है। योजना प्रमाणित करने के लिए कुछ दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश देती है

स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दावेदार का कारावास।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने पर, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को पेंशन देने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए था। इस मामले में, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहले प्रथम प्रतिवादी का दावा पहले ही खारिज कर दिया गया है और उक्त आदेश अंतिम हो गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा पारित आदेश के अवलोकन के बाद, हमारा विचार है कि पेंशन देने के लिए प्रथम प्रतिवादी को राहत देने के लिए कोई वैध कारण नहीं दिए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के समक्ष और उच्च न्यायालय के समक्ष भी दूसरी बार आवेदन करते समय पहले के आदेशों को प्रस्तुत करके अपनी पूर्व अस्वीकृति का खुलासा नहीं किया है।

26. किसी भी स्थिति में, जब ऐसे गंभीर तथ्यात्मक विवाद विचार के लिए सामने आते हैं, तो उच्च न्यायालय को याचिका [2021] 3 एस. सी. आर. का निपटारा नहीं करना चाहिए था।

प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस जारी किए बिना और अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर दिए बिना दायर किया गया।

W.B.Freedom सेनानियों के संगठन v के मामले में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया। भारत संघ और अन्य 1 और भारत संघ के मामले में v. बिकाश आर. भौमिक और अन्य 2 अपीलार्थी की याचिका का समर्थन करेंगे। W.B.Freedom सेनानियों के संगठन के मामले में v. भारत संघ और

अन्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब सक्षम समिति ने विचार किया है और राय दी है कि आवेदनों को आवश्यकता द्वारा समर्थित नहीं किया गया था दस्तावेज़ और आवेदन को खारिज कर दिया, यह न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और ऐसे निष्कर्षों को विकृत या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

27. इसके अलावा, भारत संघ बनाम बिकाश आर. भौमिक और अन्य 2 के मामले में, इस न्यायालय ने माना है कि स्वतंत्रता के तहत पेंशन

1980 की सैनिक सम्मान पेंशन योजना को योजना के तहत आवश्यक प्रमाण के अनुसार मंजूरी दी जा सकती है और किसी अन्य तरीके से नहीं। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उलट दिया है।

28. तत्काल मामले में, अपीलार्थी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यद्यपि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन 10.04.1997 खारिज कर दिया गया और उक्त आदेश अंतिम हो गया है, उन्होंने फिर से उसी अनुरोध के साथ अपीलार्थी से संपर्क किया। सक्षम प्राधिकारी के आवेदन पर विचार करने से पहले ही, प्रथम प्रत्यर्थी ने रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय ने न केवल याचिका पर विचार किया, बल्कि अपीलार्थी को जवाबी हलफनामा दायर करने की सूचना और अवसर के बिना इसका निपटारा कर दिया।

29. हमने डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश पर भी विचार किया है। यहां तक कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी विभिन्न बातों पर विचार नहीं किया है। विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी द्वारा उठाए गए आधार।

30. यह सच हो सकता है कि प्रथम उत्तरदाता को राज्य द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार पेंशन मिल रही है, लेकिन साथ ही, 1980 की योजना के तहत पेंशन का दावा करने के लिए, प्रथम उत्तरदाता को योजना के तहत विचार के अनुसार आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जब दावा किया जाता है

किसी विशेष योजना के तहत, जब तक कोई पेंशन देने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जैसा कि योजना में उल्लेख किया गया है, कोई भी आवेदक अधिकार के रूप में ऐसी पेंशन का दावा नहीं कर सकता है। 31. यद्यपि, प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा रखा है।

विशेष अनुमति याचिका को सीमित रूप से अस्वीकार करना और इसके अलावा, भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के फैसले को भी अस्वीकार करना। सीताकांत एस. दुभाशी और Anr.[3], हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश और भारत संघ बनाम के मामले में भी निर्णय। सीताकांत एस. दुभाशी और अन्न। अपने दावे के समर्थन में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। क्या कोई विशेष आवेदक स्वतंत्र सैनिक के तहत पेंशन का हकदार है

1980 की सम्मान पेंशन योजना, एक ऐसा मामला है जिस पर प्रत्येक मामले में प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजी साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना आवश्यक है, इस प्रकार, विद्वान वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह उसके मामले का समर्थन करने में कोई सहायता नहीं करता है।

32. ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील की अनुमति देते हैं और डब्ल्यू. ए. में पारित 29.08.2018 के फैसले को दरकिनार कर देते हैं। (एम. डी.) No.907 मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) द्वारा 2018 का और इसके परिणामस्वरूप,

2017 की रिट याचिका (एम. डी.) No.17290 में दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।